the Nagas. This alleged statement caused resentment to the Underground leaders and when they met Shri Jayaprakash Narayan on 17th February, 1966, they expressed their resentment to him very strongly. Shri Jayaprakash feeling that he had lost the confidence of the Underground decided that he could not continue to serve as a Member of the Peace Mission any longer. Shri Jayaprakash Narayan has been requested by the Baptist Church leaders who had formed the Mission to withdraw his resignation and his final decision is awaited.

(c) The talks continue.

Vocational Training for War-disabled Personnel

2110. Shri Karni Singhji:
Shri Vishwa Nath Pandey:
Shrimati Savitri Nigam:

Will the Minister of **Defence** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Government have made arrangements to impart vocational training to war-disabled personnel and to help them to find gainful employment;

(b) if so, the total number of such persons to be benefited by the scheme;

(c) the estimated amount of expenditure; and

(d) when this arrangement will come into operation?

The Minister of Defence (Shri Y. B. Chavan): (a) Yes, Sir.

(b) and (c). 32 disabled soldiers of the Indo-Chinese conflict in 1962 have already received vocational training at the Industrial Training Institutes or in the Queen Mary's Technical School, Kirkee. A stipend of Rs. 75 p.m. was paid to each trainee at the Industrial Training Institute while a maintenance allowance of Rs. 60 p.m. was given for each trainee at the Queen Mary's Technical School, Kirkee. As regards the wounded soldiers of Indo-Pakistan conflict of 1965 who are likely to be disabled and invalided, they are still in Military Hospitals. They are being interviewed by Vocational Guidance Officers. The number among them who will be sent for vocational training and the expenditure involved cannot be stated at present. It will depend on the assessment of vocational aptitude of the personnel *vis-a-vis* their disability and their willingness for vocational training.

(d) The arrangement in the case of disabled soldiers of the Indo-Pakistan conflict of 1965 will come into operation as soon as the medical treatment of the individuals concerned is completed and they become fit for training.

12.19 hrs.

RE: MOTIONS FOR ADJOURNMENT AND CALLING ATTENTION NOTICES

DISTURBANCES AND POLICE FIRING IN AMRITSAR, LUDHIANA, ETC.

Mr. Speaker: I have received notices of three adjournment motions by (1) Shri Bade and Shri Onkar Lal Berwa, (2) Shri Prakash Vir Shastri and (3) Shri Madhu Limaye and Shri Bagri and 15 Calling Attention Notices on disturbances and police firing in Amritsar, Ludhiana, etc. One of them might explain to me how it is the Centre's responsibility. Mr. Bade's name is the first and he may explain.

श्री बड़े (खारगोन) : माननीय अध्यक्ष जी, यह पंजाब में पंजाबी सूबे की वजह से जो अत्याचार गोलीबारी और छोटे छोटे बच्चों की मृत्यु हो रही है, और गोलियां चलायी जा रही हैं जिससे कि छोटे छोटे बच्चे मारे गये ....

अध्यक्ष महोदय : मैंने आपसे सिर्फ इतना कहा...(व्यवधान)... बाकी चीज तो जो होगी वह सेंटर की रेस्पांसिबिलिटी नहीं होगी ।

श्री बड़े : उसके बाद मैं वहां अन्दर जा कर हिन्दू कालेज में जा कर लड़कों को लाठी मारी, लाठी टूटी भी ..... (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : मैं उनको एक्सलेन्न करने दूंगा लेकिन इस तरह अगर उसके साथ दूसरी तरफ से आवाज आयेगी तो यह ठीक नहीं है ।

एक सदस्य : उधर से आवाज आ रही थी तो उनको ....

अध्यक्ष महोदय : उनको मुझे बन्द करने दीजिये ।

श्री मधु लिमये (मुंगेर) : अध्यक्ष महोदय, इनकी बात खत्म होने के बाद अगर संवैधानिक और कानूनी मामला रह जाता है तो आप मुझे भी जरूर बुलाइए :

श्री बड़े : मैं बैकग्राउण्ड बताता हूं, कि इस प्रकार से लाठी किसी के सिर पर मारी जायगी तो सिर में चक्कर आ जाएगा । ... (**व्यवधान**) अपने यहां पार्लियामेंट्री कमेटी बैठी है जिसमें श्रीमान् जी स्वयं अध्यक्ष हैं और उस पार्लियामेंट्री कमेटी का निर्णय अभी पार्लियामेंट में तथा जनता के सामने आना है । उसके पहले ही कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने निर्णय दिया और हमारी प्रधान मंत्री इन्दिरा जी ने स्टेटमेंट दिया कि हम जो वर्किंग कमेटी का निर्णय है उसको पूर्णतया मानेंगे । इससे जनता में सन्तोष फैल गया, अशांति हो गई और यह मामला इतना प्रेसीपिटेट हो गया । जब पार्लियामेंट बैठी हुई हो उस समय पार्लियामेंट के बाहर प्राइम मिनिस्टर का यह राय इजहार करना और पार्लियामेंट को बाई पास करके यह कहना कि वर्किंग कमेटी का निर्णय वह मानगी, यह भी पार्लियामेंट का अपमान है । इसके बाद मैं जो रीजनल फारमूला चलाने के बारे में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, वह भी फेल हो गया (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : जो बात मतलब की है उतनी ही कहिए ।

श्री बड़े : वहां पंजाब में इस सरकार की दब्बू नीति और घुटने टेक नीति से और राष्ट्रविरोधी और राष्ट्रघातक तत्वों से तथा जो शर्मनाक रवैया वहां शासन का रहा है, उसको देख कर तो ऐसा लग रहा है कि वहां पंजाब में शासन है ही नहीं और वहां से मांग की गई है कि राष्ट्रपति शासन लागू किया जाये । राष्ट्रपति शासन लागू करने के लिए मैं कहता हूं कि पंजाब में शासन के पास भी मांग आई है और वहां के लोगों ने यह मांग की है ....

अध्यक्ष महोदय : अब आप बैठ जाइए ।

श्री बड़े : मैं ज्यादा बोलूंगा नहीं ।

अध्यक्ष महोदय : अब ज्यादा तो कह रहे हैं और बात मतलब की नहीं कह रहे हैं । (**व्यवधान**)

श्री बड़े : पूरा पंजाब भड़क गया है, और पंजाब में इस तरह से शासन चलना मुश्किल हो जायेगा । ... (**व्यवधान**) ...

Mr. Speaker: You are a lawyer, Shri Bade. I only want to be satisfied whether the Central Government has failed in carrying out its responsibility.

श्री बड़े : इसी वास्ते पंजाब में जो गड़बड़ हो रही है वह रीजनल फारमूला फेल हो जाने से और प्राइम मिनिस्टर के यह स्टेटमेंट देने से वहां इस प्रकार की स्थिति हो गई है और वहां राष्ट्रपति शासन लागू करने की मांग की गई है और उसमें अपना शासन फेल हो गया है और इसलिये मैंने काल अटेंशन नोटिस दिया है ।

श्री मधु लिमये : अध्यक्ष महोदय, मैं न वकील हूं न कानून का अध्ययन मैंने किया है, मैं बिलकुल राजनीतिक दलील संविधान के सम्बन्ध में दूंगा । मैं संविधान की धारा 73 की ओर आपका ध्यान खींचना चाहता हूं । उस में कहा गया है :

"Subject to the provisions of this Constitution, the executive power of of the Union shall extend—

(a) to the matters with respect to which Parliament has power to make laws;...."

फिर मैं आपका ध्यान संविधान की धारा 3 की ओर खींचना चाहूंगा ।

"Parliament may by law—

(a) form a new State by separation of territory from any State or by uniting two or more States or parts of states or by uniting any territory to a part of any State;...."

अब वर्किंग कमेटी का जो प्रस्ताव है वह सीधे इस के मातहत आता है और जहां तक कार्यसमिति के अधिकारों का सवाल है केन्द्रीय सरकार के वह 73 धारा से उसका संबंध है । फिर मैं आपका ध्यान अनुसूची 1 की ओर खींचना चाहता हूं । इसमें यह दिया गया है कि विभिन्न राज्यों के प्रदेश क्या रहेंगे, इलाके क्या रहेंगे । आप उसमें अगर परिवर्तन वगैरह करना चाहते हैं तो उसके बारे में यह 3 धारा है जिसका एक जुमला मैंने पढ़ा । आगे है

"Provided that no Bill for the purpose shall be introduced in either House of Parliament except on the recommendation of the President and unless, where the proposal contained in the Bill affects the area, boundaries or name of any of the States the Bill has been referred by the President to the Legislature of that State for expressing its views thereon within such period as may be specified in the reference or within such further period as the President may allow and the period so specified or allowed has expired."

तो इन धाराओं को मद्देनजर रखते हुए यह बात बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगी कि राज्यों के पुनर्गठन तथा नये राज्यों के निर्माण की बात केवल केन्द्रीय सरकार के अधीन है न कि राज्य सरकार के । अब मेरा यह निवेदन है कि पंजाबी सूबे की मांग एक अरसे से हमारे सामने है । एक दफा तो इस मांग पर संत फतेहसिंह ने अनशन करने का भी फैसला किया था । उस वक्त चूंकि पाकिस्तान और हिन्दुस्तान के बीच में लड़ाई चल रही थी उन्होंने अपना निर्णय स्थगित किया । इस लड़ाई की समाप्ति के समय आपको अध्यक्ष महोदय याद होगा कि जब यह मामला इस सदन के सामने आया तो काफी सदभावना का वातावरण इस सदन में और सारे मुल्क में था । तो उस वक्त केन्द्रीय सरकार का यह फर्ज था कि पंजाबी सूबे के संबंध में कुछ ठोस सिद्धांतों के आधार पर कोई न कोई निर्णय करती । लेकिन गृह मंत्री जी और केन्द्रीय सरकार ने इस मामले को उलझन में डाला । जो संसदीय समिति की नियुक्ति हुई उसके बारे में भी यहां पर विवाद खड़ा किया गया । तो मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि अगर अक्तूबर नवम्बर में ही सभी लोगों से बातचीत करके पंजाबी सूबे के और हरियाना प्रान्त के निर्माण का फैसला किया जाता तो आज जो स्थिति मुल्क में पैदा हो रही है गोलियां चल रही हैं लाठी चल रही है बच्चों को मारा जा रहा है यह स्थिति हरगिज पैदा नहीं होती ।

मैं अध्यक्ष महोदय एक अन्तिम जुमला कहना चाहता हूं । जितने भाषाई विवाद हैं हमेशा सरकार ने उनके संबंध में कभी भी एक ठोस नीति या सिद्धांत या उसूल का अवलम्बन नहीं किया । केवल उसको एक वक्ती राजनीति और अन्दरूनी झगड़ों का विषय और दबाव—धमकी का मदान बनाया ।

[श्री मधु लिमये]

बम्बई के मामले को, महा गुजरात के मामले को इस तरह बिगाड़ा . . . (व्यवधान) . . . इस लिए मेरा निवेदन है कि यह केन्द्रीय सरकार की जिम्मेदारी है और केन्द्रीय सरकार इसमें पूर्णतया असफल रही है ।

श्री प्रकाशवीर शास्त्री (बिजनौर) : अध्यक्ष महोदय आप स्वयं न्यायाधीश रह चुके हैं और इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि जब कोई मामला न्यायाधीश के सामने विचाराधीन हो तो बाहर उसके ऊपर किसी प्रकार से राय जाहिर नहीं की जाती अन्यथा तो न्यायाधीश के निर्णय लेने पर प्रभाव पड़ता है । जब पार्लियामेंट के मेम्बरों की एक परामर्शदात्री कमेटी बैठी हुई थी और उस कमेटी ने अपनी किसी प्रकार की रिपोर्ट या प्रतिवेदन नहीं भेजा था, कैबिनेट की भी एक सब कमेटी बैठी हुई थी, तो कांग्रेस कार्यकारिणी को क्या इतना उतावलापन था कि बिना उनकी रिपोर्ट का इन्तजार किये उन्होंने किसी प्रकार का निर्णय इस संबंध में लिया ? अध्यक्ष महोदय आप शायद यह कहें कि कांग्रेस हाई कमांड स्वतंत्र है । हमारा उसके ऊपर कोई किसी प्रकार का अधिकार नहीं वह जो चाहे निर्णय ले सकते हैं । यदि यह बात सत्य भी है तो भी प्रधान मंत्री तो स्वतंत्र नहीं हैं । प्रधान मंत्री तो इस सदन की प्रमुख प्रतिनिधि हैं जिस सदन की ओर से इस प्रकार की समिति का निर्माण हुआ और जिसने एक कैबिनेट सब कमेटी भी बनायी हुई है । तो कांग्रेस वर्किंग कमेटी के निर्णय पर प्रधान मंत्री ने यह कह दिया कि हाई कमांड ने जो निर्णय किया है उसको कार्यान्वित किया जायेगा उससे वहां पर असन्तोष फैला ।

दूसरी सबसे बड़ी चीज जो केन्द्र की जिम्मेदारी आती है और जिसके ऊपर विशेष रूप से मुझे कहना था वह यह है कि देश में कुछ पद इस प्रकार के हैं कि जो दलीय स्तर से ऊपर उठे हुए हैं जैसे राज्यपाल का पद और आपका अध्यक्ष का पद तथा राष्ट्रपति का पद । अन्तर केवल इतना है कि लोक-सभा के अध्यक्ष और राष्ट्रपति का चुनाव होता है और राज्यपालों की नियुक्ति होती है । लेकिन यह पद दलीय स्तर से ऊपर उठे हुए होते हैं । तो पंजाब के राज्यपाल को यह कोई अधिकार नहीं था कि जब तक सरकार इस संबंध में निर्णय न ले तब तक पंजाब के राज्यपाल इस बात की व्याख्या करे और वह यह कहें कि यह निर्णय हो चुका है पंजाबी सूबा बनने के लिए । इससे भी पंजाब में असन्तोष फैला और तीसरी चीज जिससे कि केन्द्र की जिम्मेदारी मुख्य रूप से आती है वह यह है कि वहां शांति पूर्ण प्रदर्शन हुए उसमें छोटे बच्चों पर जो लाठी प्रहार हुआ और कालेजों के अन्दर जाकर के जो पंजाब की पुलिस ने बिल्कुल मदहोश होकर लाठी चलायी जिसमें लाठी टूटी और जो लाठी के टुकड़े इन्होंने आपको दिखाये इससे भी भंयकर घटना कल घटी जब श्री जयसुख लाल हाथी चंडीगढ़ गए । मुझे खुशी हुई कि केन्द्रीय सरकार का प्रतिनिधि पंजाब की स्थिति देखने के लिये गया । लेकिन श्री जयसुख लाल हाथी के जाने से पहले वहां पर लाठियां चल रही थी लाठियां टूट रही थी लेकिन श्री हाथी के पहुंचने का सुन्दर परिणाम यह हुआ कि वहां पर गोलियां चलने लगी और बच्चों की जानें ली जाने लगी । ऐसी स्थिति में केन्द्र की सीधी जिम्मेदारी आती है । पंजाब जोकि सीमावर्ती राज्य है उसकी स्थिति को सम्हालने में केन्द्रीय सरकार सर्वथा असफल हुई है इसलिए मेरा आप से निवेदन है कि इस सरकार के ऊपर निन्दा के उस प्रस्ताव को स्वीकार करने की और उस पर चर्चा करने का अवसर दें ।

प्रधान मंत्री तथा अणुशक्ति मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : मुझे तो केवल एक ही बात कहनी ह और वह यह है कि मैंने इन शब्दों का बिलकुल प्रयोग नहीं किया था कि हम इम्प्लीमेंट करेंगे । जब हम कांग्रेस वर्किंग कमेटी से बाहर निकले, वहां पर बहुत

से पत्रकार लोग थे । उन्होंने हमारी राय पूछी तो मैं ने कहा कि देखिये यह कांग्रेस का प्रस्ताव है, कांग्रेस के अध्यक्ष अभी निकलेंगे वह आप को बतायेंगे । इसके अलवा मैं ने कुछ उन से नहीं कहा (इंटरप्शन्स) ।

एक माननीय सदस्य : यह समाचार पत्रों में गलत छपा है ऐसा क्या उनकी ओर से कहा गया है ?

श्री रामसेवक यादव (बाराबंकी) : मुझे एक प्रश्न पूछने दिया जाय . . (इंटरप्शन्स)

अध्यक्ष महोदय : नहीं साहब, प्रश्न पूछने का यह वक्त नहीं है ।

श्री रामेश्वरानन्द (करनाल) : अध्यक्ष महोदय, मैं . . .

अध्यक्ष महोदय : स्वामी जी, आप बैठ जाइये, आप का तो नाम भी नहीं है ।

श्री रामेश्वरानन्द : नाम न होने का यह मतलब तो नहीं है कि मैं कोई प्रश्न नहीं पूछ सकता हूं । मैं प्रश्न पूछ सकता हूं ।

अध्यक्ष महोदय : स्वामी जी, आप बैठ जाइये, नहीं पूछ सकते ।

श्री रामेश्वरानन्द : इस में पूछने का मेरा अधिकार है ।

अध्यक्ष महोदय : जब तक मैं उसकी इजाजत न दूं तब तक आपको कोई अधिकार नहीं है ।

श्री लहरी सिंह (रोहतक) : कुछ हालात ऐसे पेश कर दिये हैं . . .

अध्यक्ष महोदय : मैं नहीं सुन सकता ।

श्री लहरी सिंह : गलत हालात पेश किये जा रहे हैं . . . (इंटरप्शन्स)।

अध्यक्ष महोदय : मैंने सुन लिया है और मुझे नहीं सुनना । हम समझ लेंगे ।

Shri Kapur Singh (Ludhiana): I want to support my hon. friend, Shri Prakash Vir Shastri.

Mr. Speaker: No support is desired. मैंने सुन लिया । एक जो बात कही गई है और जिस पर सब से ज्यादा फोर्स दिया गया है वह यह है कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने एक फैसला लिया है और उस के फैसला लेने की वजह से कुछ ऐसे हालात पंजाब में पैदा हुए हैं जो कि मुझे कहा गया कि लाठियां भी चली हैं। गोलियां भी चली हैं और मुमकिन है कोई मरा या मरे भी हों, अखबार में आया है कि एक आदमी मर भी गया है, जख्मी भी बहुत हुए होंगे .

एक माननीय सदस्य : पुलिस वाले भी जख्मी हुए हैं ।

अध्यक्ष महोदय : जी हां, वह भी हुए होंगे । अब यह सब चीजें ला एंड आर्डर में आती हैं और इसलिए यह स्टेट का मामला होता ह सैंटर की जिम्मेदारी इस में नहीं आती है । कितनी ही अनफोर्चुनेट चीज क्यों न हुई हो लेकिन वह ला एंड आर्डर में आती है और वह स्टेट की जिम्मेदारी होती है . . . (इंटरप्शन्स)।

श्री मधु लिमये ने मुझे जो आर्टिकिल्स दिखलाये उन को मैंने बड़े गौर से देखा है ।

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : गवर्नर साहब के लिए क्या जवाब है ?

अध्यक्ष महोदय : गवर्नर साहब के ऊपर में अभी आ जाऊंगा । मधु लिमये साहब ने जो आर्टिकिल दिखाया तो वहां बराबर तकसीम की हुई है । उन्होंने जो पढ़ा उसमें साफ़ तौर पर यह कहा हुआ है "Subject to the provisions of the Constitution" वह ला ऐंड आर्डर है । पब्लिक आर्डर का वह पहला ही आइटम है जो कि स्टेट के अधि-

[अध्यक्ष महोदय]

कार में होगा इसलिए वह तकसीम है । अब अगर गवर्नमेंट का कोई डिसीजन आगया तो पार्लियामेंट उस को डिस्कस करेगी और कर सकती है । लेकिन अब कांग्रेस वर्किंग कमेटी के फसले को मैं किस तरीके से ले सकता हूं कि उस को यहां डिस्कस किया जायें चाहे परिणाम उस से कोई निकला हो या उन के फैसले से भी कुछ निकला हो बाकी एक चीज मैं जरूर समझता हूं कि चूंकि हाथी साहब का नाम आया है और वह पंजाब में गये हैं इस वास्ते वह कुछ अगर इस की बाबत कहना चाहते हैं तो वह अपना स्टेटमेंट उस बारे में जरूर कर दें क्योंकि वह जो वहां पर गये उस की बाबत यहां कहा गया कि उन के जाने के पहले जहां लाठियां चलती थीं उन के पहुंचने पर वहां गोलियां चलने लगीं इस लिये वह कोई सूचना देना चाहें तो जरूर दे दें ।

श्री मधु लिमये : अध्यक्ष महोदय इस के पहले कि हाथी साहब कुछ कहें . .

अध्यक्ष महोदय : आर्डर आर्डर । मैंने हाथी साहब को बुलाया है ।

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : राज्यपाल को जो कि दलीय स्थिति के ऊपर है उन को कांग्रेस वर्किंग कमेटी के प्रस्ताव की व्याख्या करने का क्या अधिकार है ?

अध्यक्ष महोदय : अब अगर राज्यपाल ने कोई गलती की है तो मैं उस पर कैसे नोटिस ले सकता हूं (इंटरप्शंस)

श्री बड़े : अध्यक्ष महोदय :

अध्यक्ष महोदय : कई कई आदमी खड़े भले ही हो सकते हों लेकिन जब तक मैं उनमें से किसी को बोलने के लिये न कहूं तब तक वे बोल नहीं सकते ।

श्री बड़े : अब खड़े होने के बाद बोलना शुरू कर . . .

अध्यक्ष महोदय : जब तक मैं इजाजत न दूं न बोलें ।

श्री मधु लिमये : आप ने कुछ नुक्तों का जवाब दिया लेकिन सब से बड़ा जो मैंने मुद्दा रखा वह यह है कि सूबा बनाना न बनाना यह केवल केन्द्रीय सरकार की जिम्मेदारी है और सदभावना के वातावरण में अगर अक्तूबर में ही उस का निर्माण किया जाता जो आज स्थिति हुई है वह कभी नहीं होती तो उस पर आप का क्या जवाब है ?

अध्यक्ष महोदय : श्री मधु लिमये को यह समझना चाहिये कि यह सवाल तभी हो सकता है जब सरकार कोई निर्णय ले । चूंकि अब तक सरकार ने निर्णय नहीं लिया है इसलिए यह सवाल ही पैदा नहीं होता ।

श्री बड़े : अध्यक्ष महोदय, आप ने इस पर अपना निर्णय दे दिया कि ला एंड आर्डर स्टेट का मामला है लेकिन गवर्नर के द्वारा वर्किंग कमेटी के प्रस्ताव की व्याख्या करने सम्बन्धी जो प्रश्न उठाया गया और जिसके लिए कि आपने कहा कि गवर्नर ने बात कही होगी वह इस में कैसे आ सकती है तो मैं उसकी बाबत आपको संतुष्ट करा सकता हूं कि "Governor is responsible to the Central Government". पार्लियामेंट में सवाल आ सकता है कि और यह जो आपने क्लिंग दी कि गवर्नर जो कुछ करेगा, कहेगा वह पार्लियामेंट में आ सकता है और उस के वास्ते सेंटर जिम्मेदार नहीं है मैं चाहूंगा कि अपनी इस क्लिंग पर आप पुनर्विचार करें ।

[illegible]

अध्यक्ष महोदय : आप के ऐडजोर्नमेंट में यह नहीं है बड़े गौर से उसे सुना है ।

श्री राम सेवक यादव : एक निवेदन सुन लीजिये ...

अध्यक्ष महोदय : अब मैं इस पर और बहस नहीं चला सकता । मैं ने हाथी साहब को अपना स्टेटमेंट देने के लिए बुलाया है ।

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs and Minister of Defence Supplies in the Ministry of Defence (Shri Hathi): Sir,it is true that I had been to Chandigarh on a brief visit yesterday . . .

Shri S. M. Banerjee (Kanpur): Why?

Shri Hathi:....to get a first-hand assessment of the situation in Punjab. As I learn from the Punjab Government, following the publication of the Congress Working Committee's Resolution on the subject of re-organisation of the State of Punjab on a linguistic basis, the Jan Sangh gave a call for *hartal* and demonstrations by way of protest against the decision. *Hartal* was observed by supporters and sympathisers of the Jan Sangh in Amritsar, Jullundur, Ludhiana and other places on 9th March and the following days, and demonstrations held at some of these places in defiance of prohibitory orders passed by the district authorities. At a number of places, there were incidents of burning of property, brick-batting and attacks on police and magistrates on duty, causing injury to a large number. The mobs also set fire to buses, records and furniture of small post offices and a telephone booth. As a result, police had to take action to prevent further lawlessness in a number of cases and had to use tear gas and make lathi charges to disperse unlawful assemblies.

On the 13th March, a band of demonstrators, about a couple of thousand strong mobbed and attacked a small police party of a dozen men guarding an electric station, power house, at Amritsar. One of the Constables in the party fired a shot which unfortunately hit a young boy who died . . .

Some hon. Members: Shame, shame!

Shri Hathi: A case has been registered in this connection.

An. hon. Member: Again whom?

Shri Hathi: Against the Constable who fired . . (*Interruption*).

Another very unfortunate incident occurred in Jullundur yesterday afternoon when there was a clash between a Jan Sangh organised procession and a group of Master Tara Singh's followers which led to arson involving half a dozen timber shops. There was also temporary dislocation caused to rail movement. Police had to take action to disperse the rioting mobs and make a number of arrests. In these incidents, until yesterday evening, 266 persons had to be arrested by the police; 94 police and other officials on duty are known to have been injured including an Additional Deputy Commissioner, a magistrate, a Superintendent of Police and a Deputy Superintendent of Police. Two police men are reported to have sustained serious injuries to their eyes. A number of Government buses and other vehicles have been burnt or otherwise damaged.

Government are deeply distressed at these developments and particularly at the death of a young boy at Amritsar. They express their sympathy for the bereaved family. They have noted with satisfaction the efforts made by some of the responsible leaders of different parties to maintain and promote understanding and amity between different sections of the community to dissuade people from indulging in violence and lawlessness. I am sure the House will

[Shri Hathi]

join the Government in deploring the violence and defiance of law which has taken place in these incidents. Government take this opportunity to appeal to the people of Punjab to co-operate with the measures that are being taken to maintain law and order and to ensure that the unity of our people, of which Punjab has given glorious evidence in the past, is fully preserved and promoted and nothing is allowed to happen which might interfere with the peaceful life of the community. The overall situation in the Punjab, though still difficult and tense, is in hand and the State Government are dealing with it firmly and effectively.

A senior Secretary to Government, Shri V. Shankar, has flown to Punjab this morning. After visiting Amritsar and, if possible, Jullundur, he will go to Chandigarh and make himself available to the State Government for maintaining close and constant contact between the Central and the State Governments and for such help and assistance as the State Government may require.

श्री रामसेवक यादव : अध्यक्ष महोदय, मैं एक जानकारी चाहता हूं *(Interruptions)*

श्री रामेश्वरानन्द : अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन सुन लें । *(Interruptions)*

श्री बड़े : अध्यक्ष महोदय, यह बड़ा गम्भीर मामला है । आप हमें इस के बारे में स्पष्टीकरण और प्रश्नों के लिए समय दें ।

श्री बागड़ी (हिसार): अयध्क्ष महोदय.. *(Interruptions)*

अध्यक्ष महोदय : सब माननीय सदस्य बैठ जायें । अगर मैं ने इस बारे में कुछ रियायत कर दी है, तो इस का मतलब यह नहीं है कि इस सबजेक्ट को जारी रखा जाये ।

श्री रामसेवक यादव : अध्यक्ष महोदय, मैं एक जानकारी चाहता हूं ।

अध्यक्ष महोदय : अगर मैं आप को मौका दूंगा, तो सब माननीय सदस्य जानकारी लेना चाहेंगे ।

श्री मधु लिमये : आप सब को मौका दीजिये ।

श्री बड़े : अध्यक्ष महोदय, आप हम लोगों का निवेदन तो सुन लें । यह बहुत गम्भीर विषय है ।

Mr. Speaker: It was clearly within the jurisdiction of the Provincial Government. It could not be the responsibility of the Centre. Even then, because there was a mention about the Minister's visit, I allowed the Minister to make that statement.

श्री रामेश्वरानन्द : अगर यह राज्य सरकार का मामला है, तो मंत्री महोदय वहां क्या करने गये थे ? *(Interruptions)*

श्री रामसेवक यादव : अध्यक्ष महोदय, मैं एक मिनट में अपनी सारी बात कह दूंगा ।

अध्यक्ष महोदय : अगर मैं माननीय सदस्य को एक मिनट दे दूं, तो मैं बाकी माननीय सदस्यों को कैसे डिसएलाऊ कर सकता हूं ?

श्री रामसेवक यादव : अध्यक्ष महोदय, इस समय बहुत ही गम्भीर परिस्थिति है, इसलिए आप को इस बारे में निवेदन करने का अवसर देना चाहिए ।

श्री रामेश्वरानन्द : इस समय जब कि स्थिति बहुत ज्यादा नहीं बिगड़ी है, तो आप इस विषय को लेना नहीं चाहते हैं, लेकिन जब अनेक मौतें हो जायेंगी, स्थिति बहुत ज्यादा बिगड़ जायेगी, तो, जैसा कि आप का स्वभाव है, आप इस को ले लेंगे । स्थिति को अभी सम्भालने के लिए यह आवश्यक है कि इस बारे में विचार किया जाये । आप हम लोगों का निवेदन सुन लें । आप स्थिति

को और अधिक बिगड़ने न दें और इस पर विचार होने दें ।

श्री बूटा सिंह (मोगा) : अध्यक्ष महोदय, स्वामी जी ने जो कुछ कहा है, वह उस का प्रतीक है, जो कि इस वक्त पंजाब में हो रहा है । (*Interruptions*).

श्री रामेश्वरानन्द : माननीय सदस्य जो कुछ कहते हैं, वह तो उचित है और मेरी बात उचित नहीं है । (*Interruptions*).

श्री बड़े : अध्यक्ष महोदय, ... (*Interruptions*).

अध्यक्ष महोदय : सब माननीय सदस्य बैठ जायें ।

श्री बड़े : अध्यक्ष महोदय, श्री बूटा सिंह ने स्वामी जी के बारे में यह कहा है कि वह जो कुछ कह रहे हैं, वह उन घटनाओं का प्रतीक है, जो कि पंजाब में हो रही हैं । मैं कहना चाहता हूं कि माननीय सदस्य इन शब्दों को वापस ले लें ।

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने ऐसी कोई बात नहीं कही है । माननीय सदस्य बैठ जायें ।

श्री रामेश्वरानन्द : माननीय सदस्य ने मुझ पर यह लांछन लगाया है कि पंजाब में जो कुछ हो रहा है, वह मेरे कारण हो रहा है । मेरे कारण यह कैसे हो सकता है ? क्या मैं ने यह सब कराया है ? (*Interruptions*).

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य बैठ जायें ।

श्री रामेश्वरानन्द : मैं बैठ जाता हूं, लेकिन आप मेरा निवेदन तो सुन लें ।

श्री बड़े : श्री बूटा सिंह को अपने शब्द वापस लेने चाहिए । (*Interruptions*).

अध्यक्ष महोदय : मैं श्री बड़े से पूछना चाहता हूं कि क्या यही उनकी जिम्मेदारी है । वह एक ग्रुप के लीडर हैं, इसलिए नाजायज फ़ायदा उठा रहे हैं । क्या वह एक अच्छी मिसाल कायम कर रहे हैं ? अगर ऐसी हालत रहेगी, तो मुझे मजबूर हो कर रेकगनीशन को विदड्रा करना पड़ेगा ।

श्री बड़े : अध्यक्ष महोदय, आप मेरी विनती तो सुन लीजिये (*Interruptions*).

अध्यक्ष महोदय : जब मैं माननीय सदस्य को बोलने से मना कर रहा हूं, तब भी वह बोले चले जा रहे हैं ।

श्री बड़े : जब पूरी अशान्ति हो जाती है, ... (*Interruptions*).

श्री रामेश्वरानन्द : हम आप का आदर करते हैं और आप के कहते ही बैठ जाते हैं, लेकिन हमारी बात तो सुनी जाये । (*Interruptions*).

अध्यक्ष महोदय : सब माननीय सदस्य बैठ जायें ।

श्री रामसेवक यादव : अध्यक्ष महोदय . . . (*Interruptions*).

श्री मौर्य (अलीगढ़) : अध्यक्ष महोदय, . . . (*Interruptions*).

अध्यक्ष महोदय : श्री यादव और श्री मौर्य भी बैठ जायें ।

यह सरीहन ला एंड आर्डर का मामला है । ये जो अनफ़ारचुनेट इन्सीडेंट्स हुए हैं, उन के बारे में हर एक को अफ़सोस है । मुझे भी उतना ही अफ़सोस है, जितना कि माननीय सदस्यों को है । मैं ने इस एजर्नमेंट मोशन की चर्चा कर दी, उस को मेन्शन कर दिया । मैं ने मिनिस्टर साहब को भी कहा कि उन के पास जो जानकारी है वह दे दें । अगर इस के बाद भी माननीय सदस्य जिद्द करें और रूल्ज का उल्लंघन करें, तो यह मुनासिब नहीं है । मैं इस तरह के प्रेशर की वजह से इस को नहीं ले सकता हूं ।

श्री बड़े : अध्यक्ष महोदय, प्रैशर नहीं है । चूंकि यह बड़ा गम्भीर विषय है इसलिए इस पर विचार होना चाहिए ।

श्री मधु लिमये : माननीय सदस्य प्रश्न पूछ लें और स्पष्टीकरण प्राप्त कर लें, इस में क्या आपत्ति है ? एक एक मिनट आप सब को बुलायें ।

अध्यक्ष महोदय : मैं ने पहले ही अपना फ़ैसला दे दिया है ।

श्री रामसेवक यादव : अध्यक्ष महोदय, आप का निर्णय शिरोधार्य रहेगा । उस को तो हम मानेंगे ही और अगर वह हम को पसन्द नहीं है, तो हम सदन त्याग करेंगे, लेकिन वह एक अलग बात है ।

यह एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न उठाया गया है । पंजाबी सूबे के निर्माण का मामला काफ़ी समय से चल रहा है । इस बारे में जिस अनशन की बात चल रही थी, एक बार उस अनशन का परित्याग किया गया । इसके बाद एक संसदीय समिति का निर्माण हुआ और कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने भी इस बारे में फ़ैसला दिया । आप कहेंगे कि यह सदन या सरकार का फ़ैसला नहीं है । टैक्निकली यह बात ठीक हो सकती है, लेकिन वास्तव में वर्किंग कमेटी का मतलब है प्रधान मंत्री ।

अध्यक्ष महोदय : इस बात का जवाब दे दिया गया है ।

श्री रामसेवक यादव : यह ठीक है कि प्रधान मंत्री ने जवाब दे दिया है कि मुझ से कोई बात नहीं हुई । लेकिन इस सम्बन्ध में घटनायें घट रही हैं । एक तरफ़ पंजाबी सूबे के निर्माण की बात चल रही है और दूसरी तरफ़ हरियाणा सूबे की मांग बराबर की जा रही है । इस बारे में प्रधान मंत्री का बयान है कि जब मैं मीटिंग से बाहर निकली, तो अख़बार वालों ने पूछा, जिस के जवाब में उन्होंने कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष से पूछिए । मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि पंजाबी सूबे के निर्माण की ज़िम्मेदारी केन्द्रीय सरकार की है और इस बारे में एक संसदीय कमेटी बनाई गई है । चूंकि इस बारे में देश में बहुत विभ्रम फैल रहा है, इसलिए प्रधान मंत्री को बताना चाहिए, कि वह क्या करने जा रही हैं ।

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य अब बैठ जायें ।

श्री रामेश्वरानन्द : मैं इतना निवेदन करना चाहता हूं कि . . .

Shri Hem Barua (Gauhati): Are you going by the Calling Attention Notice? Because there are other names also.

Mr. Speaker: I am not going by this.

श्री रामेश्वरानन्द : प्रधान मंत्री महोदया ने कहा है कि जब वह मीटिंग से बाहर निकलीं, तो उन्होंने कहा कि कांग्रेस के अध्यक्ष इस बारे में बतायेंगे, लेकिन समाचारपत्रों में यह छपा है कि उन्होंने कहा कि जो निर्णय लिया गया है, उसका पालन किया जायेगा । आप ने भी यह पढ़ा होगा । मैं यह जानना चाहता हूं कि अगर प्रधान मंत्री महोदया ने यह नहीं कहा था, तो इस का प्रतिवाद क्यों नहीं किया गया । यह मेरा पहला निवेदन है ।

दूसरा निवेदन भी आप सुन लें । मेरा आप से बड़ा सानुनय प्रार्थनापूर्वक निवेदन है कि इस स्थिति का इसी समय सम्भाल लिया जाना चाहिए और इस पर बातचीत होनी चाहिए । जैसा कि मैं ने कहा है, कि आप को इस बारे में विचार करने की बात माननी पड़ेगी, लेकिन आप मानते तब हैं, जब मामला बहुत घना पड़ जाता है । यहां पर केवल सन्त फतेह सिंह या किसी दूसरे के अनशन का ही प्रश्न नहीं है । जब बहुत सारी मातें हो जायेंगी, जब बहुत सारे लोग मर जायेंगे, जब बहुत हानि हो जायेगी, तब आप इस प्रश्न को लेंगे । मेरा निवेदन है कि आप इस बात को पहले ही मान लें ।

Shri Hem Barua: May I say a word?

Mr. Speaker: Should we discuss it? It is not necessary to go into those facts. I have held, and I stick to that, that it is not the Centre's responsibility.

Shri Maurya: I have an objection. Please give me one minute.

अध्यक्ष महोदय : क्या श्री मौर्य का नाम इसमें कहीं है ?

श्री मौर्य : मैं आप के सामने खड़ा हूं । अगर आप कहें, तो मैं पायंट आफ़ आर्डर उठाना चाहता हूं ।

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको ही कैसे बुला लूं ? कई दूसरे माननीय सदस्य भी खड़े हुए हैं । श्री कपूर सिंह खड़े हैं । श्री बागड़ी खड़े हैं ।

श्री बागड़ी : मेरा नाम है । (*Interruptions*)

अध्यक्ष महोदय : श्री हेम बरुआ और श्री लहरी सिंह भी खड़े हैं ।

श्री मधु लिमये : सब को सुनना चाहिए । (*Interruptios*)

श्री मौर्य : मेरा पायंट आफ़ आर्डर है । (*Interruptions*)

अध्यक्ष महोदय : किस रूल के मातहत ?

श्री मौर्य : मेरा पायंट आफ़ आर्डर इस आधार पर है कि यह मामला केन्द्र से सीधा सम्बन्ध रखता है ।

अध्यक्ष महोदय : मैं ने उसके बारे में फ़ैसला कर दिया है ।

श्री मौर्य : मैं उस पर नहीं बोल रहा हूं । आप मेरी बात सुन तो लें ।

अध्यक्ष महोदय : मैं उस को कैसे सुन लूं ? (*Interruptions*)

श्री बागड़ी : सुन लें—क्या फ़र्क पड़ेगा ? (*Interruptions*)

12.46 hrs.

PAPERS LAID ON THE TABLE

Mr. Speaker: Papers to be laid on the Table. Mr. Chagla.

KERALA UNIVERSITY (AMENDMENT) ORDINANCE, 1966.

The Minister of Education (Shri M. C. Chagla): I beg to lay on the Table:

(1) A copy of the Kerala University (Amendment) Ordinance 1966, promulgated by the Governor of Kerala on the 28th January, 1966, under provisions of article 213 (1) of the Constitution read with clause (c) (iv) of the Proclmation dated the 24th March, 1965, issued by the Vice-President, discharging the functions of the President, in relation to the State of Kerala. [*Placed in Library. See* No. LT-5760/66].

(2) A copy of the statement explaining the circumstances under which the Kerala University (Amendment) Ordinance, 1966, was promulgated (*Interruption*). [*Placed in Library, See* No. LT-5761/66].

12.47 hrs.

RE: MOTIONS FOR ADJOURNMENT AND CALLING ATTENTION NOTICES—*contd.*

DISTURBANCES AND POLICE FIRING IN AMRITSAR, LUDHIANA. ETC.

श्री बड़े : इस समय जो स्थिति उत्पन्न हो गई है, उसके लिए यह सरकार उत्तरदायी है । इसलिए मंत्री महोदय को अपने पद से त्यागपत्र दे देना चाहिए । हम इसके बरखिलाफ़ वाक आउट करते हैं और यहां पर बठना नहीं चाहते हैं ।

(*Shri Bade then left the House*)